न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 99/2025

1. श्रीमती राजकंवर पत्नी स्व. हड़मानसिंह उम्र 43 वर्ष जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र स्व. हड़मानसिंह उम्र 20 वर्ष जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
3. सुरेन्द्रसिंह उम्र 17 वर्ष
4. शारदा उम्र 16 वर्ष
5. पूनम कंवर उम्र 15 वर्ष

} पुत्र/पुत्रियां स्व. हड़मानसिंह जरिये अपनी माता प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती राज कंवर पत्नी स्व. हड़मानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला–चूरू

.........वादीगण........

बनाम

1. किसनाराम पुत्र स्व. कुम्भा उर्फ कुंभसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
2. चिमनसिंह पुत्र स्व. कुम्भा उर्फ कुंभसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
3. माली पुत्री स्व. कुम्भा उर्फ कुंभसिंह पत्नी प्रभू जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर हाल निवासी ग्राम शोभासर तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू
4. राजू पुत्री स्व. कुम्भा उर्फ कुंभसिंह पत्नी भंवरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर हाल निवासी हुडेरा बाईपास रोड़, रतनगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
5. संतोष पुत्री स्व. कुम्भा उर्फ कुंभसिंह पत्नी भगवानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर हाल निवासी ग्राम नोरंगसर तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू
6. सुन्दर कंवर पुत्री स्व. कुम्भा उर्फ कुंभसिंह पत्नी डालूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर हाल निवासी लूनखान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला–बीकानेर
7. सरोज कंवर पुत्री स्व. कुम्भा उर्फ कुंभसिंह पत्नी मंगतुसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर हाल निवासी ग्राम जान्दवा तहसील रतनगढ़ जिला–चूरू
8. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

..........प्रतिवादीगण........

दावा विभाजन व चिर निषेधाज्ञा

उपस्थितः– (1) विद्वान अधिवक्ता श्री अमरसिंह राठौड़ व गोर्वधनसिंह राठौड़ वादीगण की ओर से व
(2) विद्वान अधिवक्ता श्री तिलोकचन्द प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की ओर से
(3) राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक : 25-8-25

-: निर्णय :-

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 (एक) ता 7 (सात) के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा, काश्त का खेत खसरा

लगातार ....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

नंबर 36 तादादी 3.8824 हैक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला–चूरू राजस्थान में स्थित चला आ रहा है। खातेदार तीजू देवी पत्नी कुम्भा उर्फ कुंभसिंह का स्वर्गवास हो चुका है तथा खातेदार नेमाराम पुत्र कुंभाराम लाऔलाद कुंवारा फौत हो चुका है। खातेदार हड़मानाराम उर्फ हड़मानसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान वादीगण है तथा पक्षकारान का कुर्सीनामा इस प्रकार है।

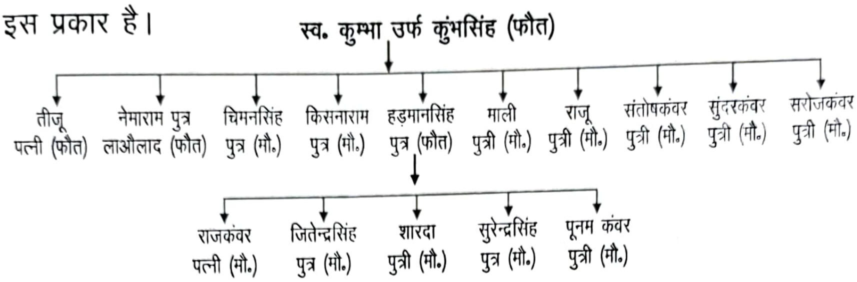

प्रतिवादी संख्या 1 किशनाराम के कोई संतान नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 चिमनसिंह के साथ रहता है और प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 का भरण पोषण आदि करता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से पांति की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 2 चिमनसिंह के पक्ष में जरिये पंजीकृत दानपत्र दान कर दी थी तथा खातेदार नेमाराम लाऔलाद कुंवारा था और अपने जीवनकाल में स्व. हनूमानाराम उर्फ हड़मानसिंह व उसके वारिसान वादीगण के साथ रहा था तथा वादीगण ने ही नेमाराम का भरण पोषण सेवा आदि की थी। नेमाराम के स्वर्गवास के पश्चात् नेमाराम की अस्थियों का विसर्जन पिण्डदान धार्मिक क्रियाक्रम गंगाजी, ब्रह्मभोज आदि का कार्य वादीगण ने ही किया था। खातेदार नेमाराम ने अपने जिवनकाल में अपने हिस्से पांति की भूमि का हक हिस्सा वादीगण को हक परित्याग कर दिया था। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 शादीशुदा है और अपने–अपने ससुराल में राजीखुशी रहती है उनका भात, मायरा, छुछक आदि व तीज त्यौंहार पर जो सामाजिक रिति रिवाज के मुताबिक वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 करते चले आ रहे है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने वादगत भूमि में जो भी उनका हक हिस्सा खातेदार तीजू व नेमाराम के स्वर्गवास के पश्चात् कायम हुआ का मौखिक रूप से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में हक परित्याग कर दिया था प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 का वादगत भूमि पर

लगातार ....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

कब्जा, काश्त नहीं है। वादगत भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 चिमनसिंह का 1/2 हक हिस्सा भूमि है और उसी अनुसार उनका कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग चला आ रहा है। वादीगण के पति व पिता का नाम हनूमानाराम राजस्व रेकॉर्ड में गलत चला आ रहा है उनका शुद्ध व सही नाम हड़मानसिंह है। स्व॰ कुंम्भा के स्वर्गवास के बाद राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश नामान्तरण दर्ज करते वक्त वादीगण के पति व पिता का नाम हनूमानाराम दर्ज कर दिया जबकि वादीगण के पति व पिता का शुद्ध नाम हड़मानसिंह के नाम से बैंक पासबुक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा गोपालपुरा, भारत निर्वाचन आयोग पहचानपत्र, आधार कार्ड, बीपीएल परिवारकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में दर्ज है जो हड़मानसिंह शुद्ध व सही नाम है। वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि अपने पति व पिता के सही नाम हड़मानसिंह की घोषणा करावें यानि वादीगण अपने पति व पिता के अशुद्ध नाम हनूमानाराम के स्थान पर सही नाम हड़मानसिंह की घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा वादीगण वादगत भूमि में अपने पति व पिता की खातेदारी भूमि के साथ–साथ मौखिक समझौता के अनुसार 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने दिनांक 20.06.2025 को प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के पति व पिता का अशुद्ध नाम हनूमानाराम के स्थान पर शुद्ध नाम हड़मानसिंह व वादगत भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी दर्ज करा देवें तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया और धमकिया दी कि वादगत भूमि की खातेदारी आपके नाम से दर्ज नहीं करवायेगें और वादगत भूमि विक्रय हस्तान्तरण करेगें और यदि प्रतिवादीगण अपने नाजायज कृत्यों में सफल हो गये तो वादीगण को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। जिस पर वादीगण ने यह दावा पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता दिनांक 08.07.2025 को उपस्थित आये और वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने राजीनामा पेश किया। उक्त राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 ने जबाब राज्यहित निहित नहीं होना पेश किया।

लगातार ....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

बहस अंतिम सुनी गयी वादीगण के अधिवक्ता ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने न्यायालय में राजीनामा पेश किया है और न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया जा चुका है। राजीनामा में प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने यह कथन किया है कि वादगत भूमि की खातेदारी में हमारा नाम दर्ज नहीं है और हम वादगत भूमि में से हक प्राप्त करना नहीं चाहती है और उभय पक्षकारान ने राजीनामा के मुताबिक वादगत भूमि में 1/2 हिस्सा की भूमि की खातेदारी वादीगण व 1/2 हिस्सा की भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 चिमनसिंह के नाम दर्ज कर दी जावे तथा खातेदार तीजू पत्नी कुंभा व नेमाराम पुत्र कुंभा का स्वर्गवास हो चुका है, उनका नाम राजस्व रेकॉर्ड में से हटाया जावे, वादीगण के पति/पिता हड़मानसिंह का नाम राजस्व रेकॉर्ड में हनुमानाराम पुत्र कुंभा अशुद्ध नाम है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण के पति/पिता का सही व शुद्ध नाम हड़मानसिंह किया जावे और वादीगण का दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की ओर से राजीनामा पेश किया जा चुका है। राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। राजीनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 ने यह कथन किया है कि वोह वादगत भूमि में से अपना हक हिस्सा प्राप्त करना नहीं चाहती है और वादीगण व प्रतिवादीगण ने कथन किया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 किसनाराम ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 2 चिमनसिंह के पक्ष में पंजीकृत दान पत्र निष्पादित करवा दिया है जिसका उल्लेख राजस्व रेकॉर्ड की जमाबंदी में किया गया है और इसलिये किसनाराम का वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं है व खातेदार नेमाराम पुत्र कुंभा का कुंवारा लाऔलाद फौत हो चुका है जो वादीगण के पति/पिता हड़मानसिंह के साथ रहता था और उन्होने उसका भरण–पोषण किया। नेमाराम के स्वर्गवास के पश्चात् उसकी अस्थियों का विसर्जन, पिण्डदान, धार्मिक क्रियाक्रम, गंगाजी, ब्रह्म भोज इत्यादि वादीगण ने किया। नेमाराम ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से पांति की भूमि वादीगण के पक्ष में मौखिक रूप से हकत्याग कर दी थी। वादगत खेत खसरा नंबर 36 वाके रोही डूंगरास आथूणा की भूमि में 1/2 हिस्सा पांति की भूमि के खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे व 1/2 हिस्सा पांति की भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 चिमनसिंह को घोषित किया जावे। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादीगण के पति/पिता का हनुमानाराम पुत्र कुंभा नाम अशुद्ध दर्ज है को शुद्ध व सही नाम हड़मानसिंह पुत्र कुंभा

लगातार ....5 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

किया जाकर व वादगत भूमि में वादीगण को 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार व प्रतिवादी संख्या 2 चिमनसिंह को 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजात व राजीनामा के आधार पर वादीगण का घोषणात्मक वाद राजीनामा के मुताबिक डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का घोषणात्मक व रेकॉर्ड दुरूस्ति का दावा मुताबिक राजीनामा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वर्तमान खाता संख्या 53 में अंकित खेत खसरा संख्या 36 भूमि तादादी 3.8824 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान के राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम हनुमानाराम अशुद्ध नाम है, जिसे दुरूस्त कर सही व शुद्ध नाम हड़मानसिंह दर्ज किया जाने का व वादगत भूमि के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में से तीजू पत्नी कुंभा व नेमाराम पुत्र कुंभा का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनका नाम राजस्व रेकॉर्ड में से हटाया जाने का एवं वादगत भूमि में वादीगण के नाम से 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी व प्रतिवादी संख्या 2 चिमनसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 8 को आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 25/8/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

(अमीलाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, बीदासर
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

अन्तिम डिक्री व इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूप 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास अमीलाल यादव आर.ए.एस.

श्रीमती राजकंवर आदि बनाम किसनाराम आदि

दावा घोषणात्मक व रेकॉर्ड दुरूस्ति

राजस्व वाद संख्या :– 91/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हाजरी श्री अमरसिंह राठौड़, श्री गोर्वधनसिंह राठौड़ वकील वास्ते वादीगण मिनजानिब मुद्दई व राजपैरोकार उपस्थित व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की ओर से श्री तिलोकचन्द वकील मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वर्तमान खाता संख्या 53 में अंकित खेत खसरा संख्या 36 भूमि तादादी 3.8824 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम डूंगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान के राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम हनुमानाराम अशुद्ध नाम है, जिसे दुरूस्त कर सही व शुद्ध नाम हड़मानसिंह दर्ज किया जाने का व वादगत भूमि के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में से तीजू पत्नी कुंभा व नेमाराम पुत्र कुंभा का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनका नाम राजस्व रेकॉर्ड में से हटाया जाने का एवं वादगत भूमि में वादीगण के नाम से 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी व प्रतिवादी संख्या 2 चिमनसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 8 को आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अन्तिम डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज........—........मुबलिग........—........बाबत........—........खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह ....—........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....—........को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25/8/25

दस्तखत .... (हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा........ बीदासर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाई	रूपये	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी

बीदासर